



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1032**

**मद/For Item : मास्त मूमेन्ट सिग्नल कन्डीशनर” पार्ट सं. एमएमएससी-02 /**  
**Mast Moment Signal Conditioner Part No. MMSC-02**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फ्लाइट टेस्ट सेन्टर, आर.डब्ल्यू.आर एण्ड डी.सी, मारतहल्ली पोस्ट, बेंगलोर - 560 037 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “मास्त मूमेन्ट सिग्नल कन्डीशनर” पार्ट सं.एमएमएससी-02 को आरेखन सं. 201एक्स 004एच 2240 001 के अनुसार जो कि एड्वान्सड लाईट हेलिकाप्टर में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(हेलिकाप्टर्स)के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. क्यूटीएस सं.डी/डीजीएम(आरसी)-एफटीसी/एएलएच/64/293 दिनांक 14 जून 1999 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट” की विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the “**Mast Moment Signal Conditioner**” bearing the Part No. MMSC-02 designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Ltd., Flight Test Centre, RWR&DC, Marathahalli Post, Bangalore-560 037, is hereby approved for production as per drawing No. 201X 004H 2240 001 for use on “Advanced Light Helicopter”. It has been tested as per governing test schedule No. D/DGM(RC)-FTC/ALH/64/293 dated 14<sup>th</sup> June 1999, in co-ordination with RCMA (Helicopters). It has met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-‘A’.

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन **30 जून 2009** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(हेलिकाप्टर्स) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid upto 30<sup>th</sup> June 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Helicopters) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1032

दिनांक/Date : 11<sup>th</sup> जून् 2004

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

ज.के.शर्मा/J.K.SHARMA

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

05/05  
11/5/04